एंबुलेंस सेवा से निष्कासित आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का समायोजन करने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने मुख्यमंत्री से 108 और 102 एंबुलेंस सेवा से निष्कासित करीब 9000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग की है। इस मामले में उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

उन्होंने समायोजन की मांग कर रहे इन कर्मियों को हक दिलाने में पूरा सहयोग देने की घोषणा की है। उन्होंने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समक्ष धरना दे रहे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के भी समर्थन का एलान किया है। सोमवार को धरनास्थल पर पहुंचकर शशांक ने आयोग के सचिव व परीक्षा नियंत्रक से मिलकर वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक और सामान्य चयन के पदों के अलावा लंबित भर्तियों के तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की।

लखनऊ में आशियाना स्थित 108 एंबुलेंस सेवा कार्यालय के बाहर सोमवार को प्रदर्शन करते सेवा से निष्कासित आउटसोर्सिंग कर्मचारी। -अमर उजाला

वेतन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। पारदर्शी किसान सेवा योजना में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सोमवार को प्रदर्शन कर वेतन बढ़ाने की मांग की। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा के समक्ष हुए प्रदर्शन में शामिल अमित कुमार ने कहा कि सरकार ने कृषि विभाग के लिए पारदर्शी किसान सेवा योजना का संचालन किया था।

इसमें एजेंसी के जरिए कृषि बीज भंडारों तथा कृषि विभाग के जिला कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय मानदेय 4000 हजार रुपये निर्धारित किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 7 हजार रुपये किया गया था, लेकिन भुगतान समय से नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से वेतन में और बढ़ोतरी कर समय से भुगतान करने की मांग की है। संवाद

छठे व पांचवें वेतन का लाभ लेने वाले कार्मिकों का भी बढ़ा डीए

लखनऊ। प्रदेश के जो कार्मिक पांचवें व छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए वेतन ढांचे में कार्यरत हैं, उनको भी महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी इसका लाभ पाएंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने इनसे संबंधित अलग-अलग शासनादेश सोमवार को जारी कर दिए।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी

प्रदेश में काफी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ नहीं ले रहे हैं। वे छठे वेतन आयोग द्वारा संस्तुत व राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन संरचना में कार्यरत हैं। इन्हें वर्तमान में मूल वेतन का 189 प्रतिशत डीए मिल रहा है। शासन ने एक जुलाई, 2021 से इन्हें 196 प्रतिशत की दर से भुगतान का फैसला किया है। वहीं जो कर्मचारी पांचवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत व राज्य सरकार द्वारा लागू वेतन संरचना में कार्यरत हैं, उन्हें 368 प्रतिशत डीए देने का फैसला किया है। इन्हें वर्तमान में 356 प्रतिशत डीए मिल रहा है। डीए का नकद भुगतान दिसंबर के वेतन के साथ एक जनवरी को होगा। जुलाई से नवंबर तक का जीपीएफ में जाएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) को भी एक जुलाई से 28 की जगह 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर के बिजलीकर्मियों के समर्थन में यूपी में प्रदर्शन

लखनऊ। प्रदेश के बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों ने निजीकरण के विरोध में जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मियों के आंदोलन का समर्थन किया है। इस क्रम में सोमवार को पूरे प्रदेश में कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजधानी में शक्ति भवन पर हुई विरोध सभा के बाद बिजलीकर्मियों ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उनसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, आरके त्रिवेदी, प्रभात सिंह, सुहेल आबिद व अन्य नेताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के 21 हजार बिजली कर्मचारी और इंजीनियर निजीकरण समेत चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। अगर जम्मू-कश्मीर के कर्मियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश हुई तो यूपी के बिजलीकर्मी चुप नहीं रहेंगे। कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में अनबंडलिंग, निगमीकरण, निजीकरण/फ्रेंचाइजीकरण के सभी प्रयोग विफल हो चुके हैं तथा उन्हीं विफल प्रयोगों को अलग-अलग नामों से ऊर्जा क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। ब्यूरो

बिजली क्षेत्र के निजीकरण करने का किया विरोध

आयुर्वेद विभाग में होगी 180 स्टाफ नर्स की भर्ती

लखनऊ। आयुर्वेद विभाग में 180 स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। इसके लिए निदेशालय ने आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। इसी तरह विभाग में खाली चल रहे अन्य पदों को भी भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

निदेशालय ने आयोग को भेजा प्रस्ताव

आयुर्वेद विभाग में नर्सिंग भर्ती की नियमावली नहीं थी। इसकी वजह से करीब एक दशक से यहां स्टाफ नर्स की भर्ती नहीं हो पा रही थी। नवंबर में शासन की ओर से नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके बाद यहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग में कुल 479 स्टाफ नर्स के पद हैं। इनमें 180 पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए विभाग के निदेशक डॉ. एसएन सिंह ने प्रस्ताव भेज दिया है। इस भर्ती के बाद विभाग में खाली चल रहे पैरा मेडिकल सहित अन्य पदों को भी भरा जाएगा। ब्यूरो

कर्मचारियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द कार्यवाही की मांग की है।

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संजीव पांडेय की अध्यक्षता में दारुलशफा स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में सेवारत राज्य कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मियों व उनके परिवार के लिए कैशलेस उपचार का शासनादेश जल्द जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा वेतन समिति के निर्णयों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द निर्णय लेने व पदोन्नति समेत कई अन्य मांगों शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई गई। परिषद के महामंत्री वीके राय ने 2005 से सेवायोजित कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने की मांग की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह पटेल, वित्त मंत्री सुमंत चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अवस्थी आदि शामिल हुए। ब्यूरो

सिंचाई कर्मियों ने दी घेराव की चेतावनी

लखनऊ। सिंचाई विभाग प्रधान कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे इरीगेशन डिपार्टमेंट इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकारियों ने विभागाध्यक्ष के घेराव की चेतावनी दी है।

महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क व सांस्कृतिक संग्रहालय लखनऊ और सिंचाई कार्यशाला खंड नैनी प्रयागराज में क्रमशः 16 व पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया। यह स्थिति तब है जबकि न्यायालय का निर्णय भी कर्मचारियों के पक्ष में है। कहा कि प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष धरने के 15वें दिन भी गेट बंद करवा दिए, जिससे कर्मचारी उनसे न मिल सकें। उन्होंने कहा कि जब तक हटाए गए कर्मियों का समायोजन नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो

पशु चिकित्सकों ने निदेशालय का घेराव कर की तालाबंदी

लखनऊ। पशु चिकित्सा संघ ने एलोपैथिक चिकित्सकों के समकक्ष पूर्ण समानता समझौता न लागू करने के विरोध में जारी आंदोलन के क्रम में सोमवार को पशुपालन निदेशालय का घेराव कर तालाबंदी की और धरना दिया। पशु चिकित्सकों ने पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर आंदोलन किया।

संघ के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने बताया कि चार वर्ष पहले सरकार ने एलोपैथिक चिकित्सकों के समकक्ष पूर्ण समानता देने के लिए लिखित समझौता किया था। निदेशालय से प्रस्ताव काफी पहले शासन को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। इससे पशु चिकित्सकों में आक्रोश है। ब्यूरो

सफाई कर्मचारियों की बनेगी सेवा नियमावली

लखनऊ। कई वर्षों से पदोन्नति की मांग कर रहे ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नियमावली बनने के बाद पदोन्नति संबंधी प्रावधान किया जा सकेगा।

पंचायतीराज विभाग में 2008 में एक लाख सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन इनकी पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वहीं, सफाई कर्मी ग्राम पंचायत अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों पर योग्य सफाई कर्मियों की पदोन्नति की मांग करते रहे हैं। मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया था। कार्मिक विभाग भी निर्देश दे चुका है कि कर्मचारियों की सेवा नियमावली में ही सेवा संबंधी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ब्यूरो

एक लाख सफाई कर्मियों की पदोन्नति का खत्म होगा इंतजार

ग्राम पंचायत अधिकारी के 20 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की है मांग

नियमावली बनाने के लिए समिति गठित

पंचायतीराज विभाग ने सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने के लिए अपर निदेशक पंचायतीराज की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया है। इसमें उप निदेशक पंचायत प्रवीणा चौधरी व एसएन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी मुख्यालय अजय आनंद सरोज तथा जिला पंचायतराज अधिकारी लखनऊ शाश्वत आनंद सिंह शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव ने समिति को सेवा नियमावली बनाने संबंधी प्रस्ताव एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ। विद्युत पेंशनर्स परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को यूपी पॉवर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज से मुलाकात की व सेवानिवृत्तों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। परिषद के कार्यकारी महामंत्री कप्तान सिंह ने बताया कि चेयरमैन से तीन से 12 साल से रुके पेंशन प्रकरण पर अंतरिम पेंशन देने की मांग उठाई गई। चेयरमैन ने पूरे मामले का परीक्षण कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो

NSE

National Stock Exchange of India Limited

'Exchange Plaza', Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

सार्वजनिक सूचना

SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 के विनियम 32 (3) के अनुसार कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के लिए सार्वजनिक सूचना

SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 (विनियम) के विनियम 32 (3) के अनुसार और प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 21(ए) के तहत बनाए गए नियमों और उपनियम के नियमों, और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के विनियमन (एक्सचेंज) के अनुसार, यह सूचना दी जा रही है कि एक्सचेंज ने नीचे उल्लिखित 3 कंपनियों को डीलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि उक्त कंपनियों ने उनकी सिक्युरिटीज़ को डीलिस्ट करने के लिए हमेशा कारण उत्पन्न किए हैं यानी SEBI (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण उक्त कंपनियों की सिक्युरिटीज़ में ट्रेडिंग को छः महीनों से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया है और इस संबंध में SEBI/एक्सचेंज द्वारा कई सर्कुलर जारी किए गए हैं.

एक्सचेंज द्वारा कंपनियों को एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स अनुसार उनके पिछले ज्ञात पते और पंजीकृत ईमेल पते पर शो कॉज़ नोटिस (कारण बताओ सूचना) जारी किया गया है, जिसमें उन कंपनियों से कारण बताने के लिए कहा जा रहा है कि क्यों कंपनी के इक्विटी शेयर्स को एक्सचेंस से अनिवार्य रूप से डीलिस्ट (सूची से हटाया जाना) नहीं किया जाना चाहिए. इन कंपनियों की सूची, एक्सचेंज के रिकॉर्ड अनुसार उनके पिछले ज्ञात पते के साथ नीचे दी गई है:

अनु क्रं	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
1	पावरफुल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	जी 1 प्रकाश चैंबर, तल मंजिल, 6 नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002
2	युनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड #	1252, पुष्पांजली अपार्टमेंट्स, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई - 400025
3	थिरु अरुरन शुगर्स लिमिटेड #	एल डोराडो, पांचवी मंजिल, उत्तमार गांधी सलाई, 112, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600034.

* यह पता, एक्सचेंज के रिकॉर्ड्स अनुसार उपलब्ध है

यह कंपनी परिसमापन के तहत है और इसलिए असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 34 के परिणाम इस कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध करने के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपरोक्त कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से रोक दिया जाएगा. इन कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड में ले जाया जाएगा (परिसमापन के तहत वाली कंपनियों को छोड़कर)
- असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 34 के संदर्भ में,
  1. डीलिस्टेड कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, उसके संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और वे कंपनियां जो उनमें से किसी के भी द्वारा संप्रवर्तित हो, इस प्रकार असूचीबद्ध होने की तारीख से दस वर्षों की अवधि तक, प्रतिभूति बाजार (सिक्युरिटीज़ मार्केट) में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं रखेंगे या किन्हीं इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध कराने की मांग नहीं करेंगे या प्रतिभूति बाजार में मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के रूप में कार्य नहीं करेंगे.
  2. ऐसी कंपनी के मामले में, जिसका उचित मूल्य धनात्मक (पॉज़िटिव) हो -
     - ए. ऐसी कंपनी और निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के पास रखे किन्हीं इक्विटी शेयरों का अंतरण (ट्रासंफर), बिक्री, गिरवी, आदि के जरिए, तब तक नहीं करेंगे, और संप्रवर्तकों/ संप्रवर्तक समूह के सभी इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी फायदों (कॉर्पोरेट बेनिफिट्स) जैसे लाभांश (डिविडेंड), अधिकार (राइट्स), बोनस शेयर, विभाजन (स्प्लिट), आदि पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक ऐसी कंपनी के संप्रवर्तक इन विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का विकल्प (एक्ज़िट ऑप्शन) प्रदान न कर दें, जैसा कि संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया हो.
     - बी. जिस कंपनी को अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया हो उसके संप्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूतियों (सिक्युरिटीज़) से संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति तब तक किसी सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनी के निदेशक बनने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, तब तक खंड (ए) के अनुसार निकास का विकल्प (एक्ज़िट ऑप्शन) प्रदान न कर दिया जाए.
- असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 33 के संदर्भ में,
  1. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किए जाने हों, वहां मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक स्वतंत्र मूल्यांकक (मूल्यांककों) को नियुक्त करेगा जो असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य तय करेगा.
  2. मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांककों का एक पैनल बनाया जाएगा, और उस पैनल में से उप-विनियम (1) के उद्देश्यों से मूल्यांकक नियुक्त किया जाएगा.
  3. असूचीबद्ध किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य मूल्यांकक (मूल्यांककों) द्वारा SEBI (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2021 के विनियम 20 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित कारकों के संबंध में, तय किया जाएगा.
  4. कंपनी का प्रोमोटर (प्रोमोटर्स) असूचीबद्ध किए गए इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों को मूल्यांकक द्वारा तय किया गया मूल्य, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध किए जाने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, अदा करके उनसे ले लेगा, हालांकि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प होगा.
  5. यदि विनियम 33 के उप-विनियम (3) के अनुसार अदा की जाने वाली कीमत विनियम 33 के उप-विनियम (4) के तहत बताई गई समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को अदा नहीं की जाती है तो ऐसे में प्रोमोटर उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिन्होंने अनिवार्य असूचीबद्धता के प्रस्ताव के तहत अपने शेयर की पेशकश की हो.

ये कंपनियां परिसमापन के तहत है और इसलिए:

- ए. SEBI परिपत्र क्रं. SEBI/HO/CFD/DCR/CIR/P/2016/81 दिनांकित 07 सितंबर, 2016 का प्रावधान, इन कंपनियों पर लागू नहीं होता है.
- बी. परिसमापन के तहत वाली कंपनियों के लिए, निम्नलिखित मामलों में SEBI से नीचे दिए गए निर्देश प्राप्त हुए हैं:
  1. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कर दिया गया है तो असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू होगा.
  2. यदि कंपनी को अस्थायी परिसमापक की नियुक्ति या बंद करने के आदेश से पहले अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध नहीं किया गया है तो असूचीबद्धता की प्रक्रिया कानूनी कार्यवाही द्वारा होगी और असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम के विनियम 24 में दिया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

प्रस्तावित असूचीबद्धता से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, 12 जनवरी 2022 से पहले तक लिखित रूप में एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को निवेदन कर सकता है, यदि कोई निवेदन हो तो.

निवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) की संपूर्ण जानकारी वाला निवेदन नीचे दिए गए पते पर संबोधित किया जाना चाहिए:

असूचीबद्धता समिति (डिलिस्टिंग कमिटी), एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051. संपर्क नं: +91 22 26598100 (23402/25061/25123), ई-मेल: compliance_listinginfo@nse.co.in

कंपनियों को उपरोक्त कंपनियों के संप्रवर्तक (प्रोमोटर)/ निदेशक की जानकारी 07 जनवरी 2022 से पहले तक अपडेट करने का निर्देश दिया जाता है. उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनियों के संप्रवर्तक (प्रोमोटर)/ निदेशक को भी एक्सचेंज से उपरोक्त टेलीफोन नंबर्स और ईमेल पते पर तत्काल संपर्क करने के लिए कहा जाता है.

स्थान : मुंबई **दिनांक : 21 दिसंबर, 2021**

Nifty50